आज्ञा-पत्र

दिनांक	
/9/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/9/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर]
18/9/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/9/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर]
27/9/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/10/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर]
14/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली आदेश में है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत हुई होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर]

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 1203/2015/251 (ए) आरटीए

1. बंशीधर पुत्र मोहनलाल
2. मनीलाल पुत्र मोहनलाल
3. गोपीचंद पुत्र मोहनलाल
4. बीरबल पुत्र जोधा
5. मदन पुत्र जोधा
6. बजरंगलाल पुत्र जोधा

समस्त जाति मीणा निवासीगण वार्ड नं. 19, बाण्डिया बास, सीकर तहसील व जिला सीकर

—आवेदकगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र भूराराम
2. बनवारीलाल पुत्र भूराराम
3. कमला पुत्री भूराराम
4. छोटी पुत्री भूराराम
5. पतासी देवी पत्नी रामूराम
6. टीकूराम पुत्र नोलाराम
7. कमला पत्नी बनवारीलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर

8. मंगलचंद पुत्र भगूता
9. जगदीश पुत्र स्व. देवीलाल
10. दीनदयाल पुत्र स्व. देवीलाल
11. राकेश पुत्र स्व. देवीलाल
12. सरस्वती पत्नी स्व. रूड़ा पुत्रवधू स्व. धोला
13. रामदयाल पुत्र स्व. रूड़ा पौत्र स्व. धोला
14. सुरेश पुत्र स्व. रूड़ा पौत्र स्व. धोला

समस्त जाति मीणा निवासीगण वार्ड नं. 19, बाण्डिया बास, सीकर तहसील व जिला सीकर

—अनावेदकगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

उपस्थिति—

1. श्री नोपाराम जांगिड़ वकील आवेदकगण की ओर से
2. श्री सोहनलाल चौधरी वकील अनावेदक सं. 2 की ओर से
3. श्री विनोद कुमार सरोज वकील अनावेदक सं. 8 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

आदेश

दिनांक– 14.10.2019

1. वकील आवेदकगण की ओर से आवेदन–पत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "आवेदकगण के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर– 298 रकबा 1.33 है0 ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है एवं इसी ग्राम कंवरपुरा में खसरा नम्बर– 290 रकबा 8.7200 हैक्टर अनावेदक संख्या– 1 ता 7 की एवं खसरा नम्बर– 295 रकबा 0.98 है0 अनावेदक संख्या– 8 ता 14 के खातेदारी की भूमि अवस्थित है। आवेदकगण के अपने उक्त खेत खसरा नम्बर– 298 रकबा 1.3316 हैक्टर में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता ग्राम कंवरपुरा एवं फकीरपुरा जाने वाले सडक से टलकर अनावेदक संख्या–1 ता 7 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर– 290 में प्रवेश कर आगे इसकी दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे पश्चिमी की ओर जाकर अनावेदक संख्या–8 ता 14 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर–295 की पूर्वी सीमा में प्रवेश करता हुआ इस खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम की ओर चलकर आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त के खेत की उत्तरी पूर्वी कोने में प्रवेश करता था जिस रास्ते पर लोहे का गेट लगाकर एवं ढालिया व छप्पर बनाकर ढाई वर्ष पूर्व अवरूद्ध कर दिया जिसके कारण आवेदक संख्या–1 व 2 ने उक्त अनावेदक नम्बर–1 व 2 तथा इनकी माता किसनी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर–290/2013 पुलिस थाना सदर सीकर में दर्ज करवाया था तदनुसार सदर पुलिस सीकर ने अनावेदक नम्बर–1 व 2 के विरूद्ध न्यायालय में चार्ज शीट नम्बर–147/2014 अन्तर्गत धारा– 341 आई पी सी व धारा–3(1) (5) (10) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट में पेश की तथा वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदकगण का रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने के कारण तथा इसे न खोलने के कारण उत्पन्न स्थिति की वजह से अब धारा–251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अनावेदक नम्बर– 1 व 2 तथा इसके परिवारजन द्वारा ढाई वर्ष पूर्व आवेदकगण के उक्त कदीमी व प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध कर देने के कारण आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर– 298 में आवागमन व इनके मवेशी, ट्रैक्टर, ट्रोली आदि हेतु कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। उक्त चाहे गये रास्ते को आवेदन पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बअक्षर ए बी सी से दर्शाया गया गया है। आवेदकगण रास्ता में जाने वाली खेत खसरा नम्बर–290 व 295 की भूमि के प्रतिकर को संदाय करने के लिए तैयार है। जमाबंदी में दर्ज खातेदार देवीलाल व धोला की मृत्यु हो चूकी है जिनके वारिसान को इस आवेदन में अनावेदकर संख्या–9 लगायत 14 के रूप में पक्षकार बनाये गया। आवेदन सुनवाई का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। आवेदन पत्र नियमानुसार उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः आवेदन–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त के खेत खसरा नम्बर–298 रकबा 1.33 हैक्टर में आवागमन हेतु अनावेदक नम्बर–1 ता 7 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर–290 रकबा 8.72द हैक्टर में से 15 फिट चौडा रास्ता उक्त खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खेत खसरा नम्बर–295 की पूर्वी–दक्षिणी सीमा तक, जिसे संलग्न नजरी नक्शा में ए से बी दर्शित किया गया है, दिलवाया जावे तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावें। खेत खसरा नम्बर–295 रकबा 0.98 हैक्टर में 15 फिट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में बी से सी को भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब कि गया। अप्रार्थी सं. 2 कि ओर से श्री सोहनलाल चौधरी, एड. ने वकालतनामा पेश कि जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण सं. 8 कि ओर से श्री विनोद कुमार स

उपखण्ड अधिकारी
धोद, सीकर

Scanned with CamScanner

एड. ने वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी सं. 8 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया कि आवेदनकर्ता को आवेदन में वर्णित रास्ता दिया जाता है तो जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है। इसी कम में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि आवदेकगण द्वारा उक्त धारा में कथित रास्ता कभी भी नहीं है। मुकदमा सं. 290/2013 पुलिस थाना सदर आवेदकगण द्वारा उत्तरदातागण पर नाजायज दवाब डालने की गर्ज से दर्ज करवाया गया था। जिसमें पुलिस थाना से मिलीभगत कर गलत चार्जशीट नम्बर 147/2014 पेश करवा दी गई। चार्जशीट पेश होने से आवेदकगण किसी तरह के रास्ते क्लेम के अधिकारी नहीं हो जाते है। आवदेकगण का प्रकरण धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। विशेष कथन में भी उल्लेखित किया कि आवेदकगण के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जब आवेदकगण के खेत खसरा सं. 290 व 295 में से होकर किसी रास्ते को कोई क्लेम ही नहीं बनता है तो प्रतिकर संदाय करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आवेदकगण के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन कतई गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा कथित रास्ता कभी भी मौके पर अवस्थित नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा सं. 298 में सदैव से ही भूमि खसरा सं. 300 की उत्तरी सीमा से होकर आवागमन करते रहे है। इस कारण वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था होने के कारण आवेदन चलने योग्य नहीं है। अतः आवेदन खारिज किया जावे। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2016/1004 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निकटतम दूरी का रास्ता खसरा सं. 297 या खसरा सं. 300 में से बनता है। न्यायालय आदेशिका दिनांक 31.03.2017 में यह तथ्य अंकित किया कि खसरा सं. 297 व 300 के खातेदारों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी करें। अतः उक्तानुसार उक्त को अपना पक्ष पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सुरजनराम, करनीराम, मोहनलाल, पारी देवी निवासी कंवरपुरा कि ओर से श्री बंजरंगलाल शर्मा, एड. ने वकालतनामा तथा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इसी कम में मदन पुत्र बेगाराम नि. कंवरपुरा कि ओर से श्री ओमप्रकाश जांगिड़, एड. ने वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आदेशिका दिनांक 23.04.2018 के अनुसरण में अप्रार्थी खातेदार सुभाष पुत्र बेगाराम के फौत से उसके वारिसान तथा खातेदार सुखदेवी व उसका पुत्र बंशी तथा पत्नी भी फौत होने से उनके वारिसान की तामील हेतु जरिये रजिस्टर्ड डाक के तलब किये जाने पर उक्त के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी रिछपाल व मोतीलाल कि ओर से श्री बजरंगलाल शर्मा, एड. ने वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। सुरजनराम, करनीराम, मोहनलाल, पारी देवी निवासी कंवरपुरा कि ओर से प्रस्तुत मद वार जवाब आवेदन में उल्लेखित किया कि आवेदकगण का रास्ता खसरा सं. 295 की पूर्वी सीमा में प्रवेश करता हुआ इस खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम की और चलकर आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे, काश्त का खेत खसरा सं. 298 में उत्तरी पूर्वी कोने में प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता आवेदकगण का कदीमी रास्ता था और वर्षों से इसी रास्ते से आवेदकगण आते जाते थे उक्त रास्ते को अनावेदक संख्या–1 व 2 द्वारा बंद कर देने के कारण से पुलिस थाना सदर सीकर में भी मुकदमा नम्बर–290/2013 दर्ज हुआ था तथा न्यायालय में चालान पेश हुआ

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

था। आवेदकगण के द्वारा इसी रास्ते से अपने खातेदारी के खेत में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पेश किया है। विशेष कथन में भी उल्लेख किया कि आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में माननीय न्यायालय के द्वारा अनावेदक सुरजनराम, करणीराम, मोहनलाल व पारी देवी को गलत रूपसे पक्षकार संयोजित किया गया है। तहसीलदार महोदय, धोद के द्वारा गलत रूप से नजरी नक्शा में नवीन नक्शा में नवीन रास्ता खसरा सं. 297 व 300 में दिखाया गया है जबकि उक्त खसरा सं. में अनावेदक के पुख्ता मकान व पुख्ता पशुओं के लिए ढालिए व टिनशेड बनाया हुआ है। आवेदकगण के परिवारजनों के खेत खसरा सं. 305, 299, 298 है, खसरा सं. 305 से प्रवेश करके खसरा सं. 299 व 298 में जाने के लिए कोई रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं है तथा लघुत्तम के हिसाब से खसरा सं. 302 से 299 व 298 में जाने के लिए कम से कम 10 या 15 मीटर का रास्ता पड़ता है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आवेदनकर्ता ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार, धोद के द्वारा भिजवायी गई रिपोर्ट के अनुसार हमें रास्ता दिया जावे। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/अप्रार्थीगण ने आवेदन के जवाब तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि खसरा सं. 302 से खसरा सं. 299 की दूरी निकटतम है, खसरा सं. 299 व 305 प्रार्थीगणों के भाईयों की ही भूमि है, जो सड़क से लगती हुई है। तहसीलदार, धोद द्वारा अंकित रास्ते में मकान बने हुए है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आवेदन–पत्र में अंकित तथ्यों, सबूतों एवं तहसीलदार, धोद की पूर्व(प्रथम में) प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.11.2016 से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक अपनी भूमि खसरा सं. 298 में खसरा सं. 290 व 295 में से होकर आते जाते थे लेकिन आवेदक एवं अनावेदकगणों में उक्त रास्ते को लेकर विवाद हो गया। जिस कारण आवेदकों ने पुलिस थाना, सदर सीकर में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमें की जांच के बाद पुलिस ने चालान सिविल न्यायालय में पेश किया, जहां पर प्रकरण विचाराधीन है। आवेदकगण ने उक्त रास्ते को कदीमी रास्ता बताया है तथा वर्षों से उपयोग–उपभोग करने का उल्लेख भी किया है। आवेदक के विवरण से उक्त प्रकरण सुखाचार की श्रेणी में आता है, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा सुना जा रहा है। उक्त रास्ते के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना या प्रकरण को पुनः सुनना हम उचित नहीं मानते है।

अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद म0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner